अति आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियंता सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
एल एम बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर , दिल्ली–31
दूरभाष सं0: 011–22424989

संख्या : सी ई एफ / एस एस डब्लयू / विधानसभा प्रश्न / 2018 / दि0:

सेवा में

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–54 ।

विषय विधानसभा लिखित उत्तर (अतारांकित) प्रश्न संख्या 47 दिनांक 06–08–2018 के संदर्भ में ।

महोदय,

कृप्या उप सचिव, (प्रश्न शाखा), दिल्ली विधानसभा के पत्र संख्या 11 (बी–1) VI/2015-20/ वि स स / प्रश्न शा / 4872 दिनांक 27–07–2018 का अवलोकन करें, जिसके साथ विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (अतारांकित) प्रश्न संख्या 47 की सूची उत्तर हेतु भेजी गई है, जिसके तहत सोमवार दिनांक 06–08–2018 के लिए लिखित उत्तरों की 100 प्रतियां सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से मांगी गई थी ।

अतः निर्देशानुसार उपरोक्त प्रश्न के स्वीकृत उत्तर की 100 प्रतियां आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्त

(बी0डी0शर्मा)
कार्य सर्वेक्षक

संख्या : सी ई एफ / एस एस डब्लयू / विधानसभा / 2018 / 7561 – 564 दि0: 3-8-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

1 अधीक्षक, माननीय विकास एंव सिंचाई बाढ़ मंत्रालय, 7वां तल, ए विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

2 सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, वरूणालय, करोलबाग, नई दिल्ली ।

3 निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–54 (150 प्रतियों सहित) ।

(बी0डी0शर्मा)
कार्य सर्वेक्षक

विभाग का नाम :– सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

विभाग का पता :– एल. एम. बंद कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली–110031

तारांकित /अतारांकित प्रश्न संख्या :– अतारांकित 47

दिनांक :– 06–08–2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री आदर्श शास्त्री

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	अभी तक कितने विधायकों को सरकारी कार्यालय दिये गये हैं ;	इस विभाग के अंतर्गत आने वाले कोई भी भवन किसी भी विधायक को सरकारी कार्यालय हेतु नहीं दिया गया है ।
(ख)	माननीय विधानसभा अध्यक्ष के लिखित आदेश के बावजूद अभी तक आफिस अलॉट न किये जाने के क्या कारण हैं ;	आफिस अलॉट का अधिकार इस विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है ।
(ग)	प्रश्नकर्ता विधायक को मिले अस्थाई ऑफिस को आईएफसीडी के द्वारा क्यों और किसके आदेश पर ताला लगाया गया था ;	उपरोक्त स्थान पर ताला लगाने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया, न ही इसकी कोई लिखित सूचना दी गई ।
(घ)	बिना सूचना , बिना नोटिस के नौ महीने पूर्व से चल रहे एक जन प्रतिनिधि के ऑफिस में अचानक ताला लगाने के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ;	उपरोक्तानुसार ।
(ङ)	क्या ऐसा कृत्य जानबूझकर विधानसभा अध्यक्ष के आदेश की सरासर अवहेलना और एक जन प्रतिनिधि का अपमान नहीं है ;और	उपरोक्त **ख** के अनुसार ।
(च)	जनता की सुविधाओं के लिये प्रदान किये गये कार्यालय का अचानक ताला बंद किये जाने से क्षेत्रीय जनता को हुई असुविधा के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ; और	उपरोक्तानुसार ।
(छ)	इस मामले में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?	उपरोक्तानुसार ।

पवन बंसल